न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 109/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 7.9.2017

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. धनकंवर बेवा हरिशंकर जाति जाटव निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी बस स्टेण्ड गुरूद्वारे के पास झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
2. अर्जुन आ0 हरिशकंर जाति जाटव निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी बस स्टेण्ड गुरूद्वारे के पास झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
3. हेमराज आ0 हरिशंकर जाति जाटव निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी बस स्टेण्ड गुरूद्वारे के पास झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
4. अजय आ0 हरिशंकर जाति जाटव निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी बस स्टेण्ड गुरूद्वारे के पास झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
5. चन्द्रेश पुत्र हरिशंकर जाति जाटव निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी बस स्टेण्ड गुरूद्वारे के पास झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
6. लीलाबाई पत्नी चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली गूर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
7. अरविन्द पुत्र चांदमल चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली गूर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
8. दुर्गाशंकर आत्मज बापूलाल चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली गूर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
9. विजय पुत्र प्रताप चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली गूर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
10. बब्लू आ0 प्रताप चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली गूर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
11. मंजू पुत्री प्रताप चांदमल जाति जाटव निवासी हाल जटाशंकर की गली झालरापाटन जिलाझालावाड–राज0।
12. लक्ष्मीबाई बेवा अशोक चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झाला0–राज0।
13. शानू पुत्री शिवप्रसाद नाबा0 जरिये वली मामा अरविन्द आ0 चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
14. अमन पुत्र शिवप्रसाद नाबालिग जरिये वली मामा अरविन्द आ0 चॉदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
15. रविना पुत्री शिवप्रसाद नाबालिग जरिये वली मामा अरविन्द आ0 चांदमल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।

...अपीलाट्स

बनाम

1 मुकेश कुमार आ0 बापूलाल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।

2 कस्तूरी बाई बेवा बापूलाल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।

3 ओमप्रकाश आत्मज बापूलाल जाति जाटव निवासी जटाशंकर की गली झालरापाटन जिला झाला0–राज0।

अति0 सं0 आयु0
कोटा

4 मिठो बाई पुत्री बापूलाल पत्नी टेकचंद जाति जाटव निवासी गदी मोहल्ला पावर हाउस के पास रामगंजमण्डी तह0 रामगंजमण्डी जिला–कोटा।

5 उषा पुत्री बापूलाल पत्नी किशन लाल जाति जाटव निवासी कुम्हार मोहल्ला मैला मैदान भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड–राज0।

6 सरोज पुत्री बापूलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति जाटव निवासी कुम्हार मोहल्ला मैला मैदान भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड–राज0।

7 शशि पुत्री बापूलाल पत्नी भगवान जाति जाटव निवासी स्टेशन के पास यादव मोहल्ला मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0।

8 लाडबाई पुत्री हरिशंकर पत्नी रघुवीर जाति जाटव निवासी फतेहपुर जिला बांरा।

9 रजनी पुत्री हरिशंकर पत्नी ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी चिरीघाट बांरा जिला बांरा।

10 प्रमिला पुत्री चॉदमल पत्नी विद्यारतन जयन्त जिाति जाटव निवासी जगजीवनराम कॉलोनी शाहबाद रोड बारां जिला बारां–राज0।

11 श्रीमति बबीता पुत्री चॉदमल पत्नी कालूलाल जाति जाटव निवासी पुराने थाने के पास सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

12 चन्द्रकला पुत्री चॉदमल पत्नी श्याम जाति जाटव निवासी पुराने थाने के पास सुकेत तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0।

13 बेबी पुत्री प्रताप पत्नी कन्हैयालाल जाति जाटव निवासी नांन्ता कालबेलिया बस्ती के पास कोटा जिला कोटा राज0।

14 ज्योति पुत्री प्रताप पत्नी पवन जाति जाटव निवासी हास्पीटल के सामने कच्ची बस्ती झालावाड जिला झालावाड–राज0।

15 त्हसीलदार झालारापाटन जिला झालावाड–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बृजराज कुमार मंत्री अभिभाषक अपीलाट्स
श्री मंसूर आलम अभिभाषक रेस्पोडेन्टस क्रम–1
श्री धीरज जेन अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–8 लगायत 14

निर्णय

दिनांक 18.9.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण द्वारा मिसल नं0 07/2016 उनवान दुर्गाशंकर वगेरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन मे पारित निर्णय दिनांक 27.7.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि दुर्गाशंकर वगेरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वर्गीय पिता बापूलाल आ0 गंगाराम की ग्राम झालरापाटन मे खाता संख्या नया 321 व खाता संख्या पुराना 297 ख0 सं0 2426 रकबा 05.18 बीघा को उनके वारिसान 8 पुत्र व 4 पुत्रियो के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। तहसीलदार झालरापाटन ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व इसकी धारा 30 के अनुसार मृतक बापूलाल आ0 गंगाराम जाति जाटव निवासी झालरापाटन के नाम खाते दर्ज आराजी ख0 नं0 2426 रकबा 5.18 बीघा भूमि को मुकेश कुमार आ0 स्व0 बापूलाल जाति जाटव (यादव) निवासी झालरापाटन के नाम नामान्तरण खोला जाकर खाते दर्ज करने का दिनांक 27.7.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसकी

वरि० स० आयु० कोटा

पालना मे नामान्तरकरण संख्या 2163 ग्राम झालरापाटन तस्दीक किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 के नाम वसीयत करना मानते हुये इंतकाल खोले जाने संबधी पारित आदेश दिनांक 27.7.2017 विधि विरूद्ध मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो का पालन नही किया कस्तूरीबाई के मनमाने बयान दर्ज कर अपीलांट्स मे से दुर्गाशंकर, विजयकुमार व अरविन्द कुमार को बिना सुने व एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगेर अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित कर त्रुटि की है। वसीयत प्रमाणित न होते हुये भी वसीयत को निर्णय का आधार मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक बापूलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया ना ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। मनमाने तौर पर स्वर्गीय बापूलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम पारित निर्णय के शीर्षक मे दर्ज किये बिना ही जेर अपील निर्णय पारित कर दिया जो अपीलार्थी के हितो को विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय जेरअपील दिनांक 27.7.2017 व निर्णय की पालना मे तस्दीक नामा0 सं0 2163 अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया रेस्पो0 क्रम–1 एवं रेस्पो0 क्रम 8 से 14 की ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत किया तथा शेष रेस्पो0 बावजूद तामील के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि नामान्तरकरण सं0 2183 झालरापाटन तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2017 बापूलाल की मृत्यु दिनांक 26.3.11 के उपरांत वसीयत के आधार पर दर्ज करने मे त्रुटि की है क्योंकि मृतक खातेदार के सभी प्राकृतिक वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील दिनांक 7.9.2015 को पेश की गई बयान दिनांक 22.9.2015 को मुकेश, कस्तूरी, मिठ्ठो, शशि के लिये गये उसके बाद फिर तलबी सभी की नही हुई। अतः स्पष्ट है कि बयान पहले लिये गये तलबी बाद मे की गई बाद मे दिनांक 18.3.2016 को एक तरफा कार्यवाही करदी गई दिनांक 28.2.2016 को मुकेश का एक्स पार्टी आदेश सेट असाईड किया गया जबकि मुकेश को एक्स पार्टी नही किया गया। पटवारी द्वारा सभी वारिसान को तलब करने की रिपोर्ट की गई किन्तु सभी वारिसान को बिना सुने निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे आगे बताया कि बयानो मे किसी ने भी वसीयत की बात नही की है आदेशिका 20.7.17 को वसीयत के विटनेश मे बयान नही है वसीयत ग्रहीता के भी बयान नही है कस्तूरी के पहले बयान हो गये थी बाद मे फिर बयान लिये गये। तहसीलदार को वसीयत की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार नही है। रेगूलर वाद जेरकार है जिसमे पक्षकारान के हितो का निर्धारण होगा। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे जेरअपील आदेश व नामा0 सं0 2163 अपास्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने लिखित बहस पेश की जिसमे संक्षिप्त मे वर्णित किया कि नामान्तरकरण कार्यवाही फिसक्ल प्रोसेडिंग है नामान्तरण विवादित भूमि मे कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नही करती। नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक विनिश्चित किया जाना सम्भव नही है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा वाद मे ही जा सकती है। अपीलांट ने सक्षम न्यायालय एसडीओ झालावाड मे काश्तकारी अधि0 की धारा 88–91–92 ए–209–53 व 188 के अन्तर्गत घोषणा व निषेधाज्ञा तथा बटवारे का दावा सं0 652/17 पेश किया हुआ है जो वर्तमान मे जेरकार है जिसमे गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा। इन्तकाल दोनो पक्षो को सुनकर वसीयत के आधार पर खोला गया है कानूनन आरटीएक्ट की धारा 39 के अनुसार वसीयतग्रहीता को खातेदारी अधिकार

प्राप्त हो जाते है। अतः अपील के माध्यम से वसीयत को चुनोती नही दी जा सकती सक्षम न्यायालय से वसीयत को निरस्त या शून्य घोषित कराये बिना अपीलांट इस अपील मे कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तहसीलदार झालरापाटन ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व इसकी धारा 30 के अनुसार मृतक बापूलाल आ0 गंगाराम जाति जाटव निवासी झालरापाटन के नाम खाते दर्ज आराजी ख0 नं0 2426 रकबा 5.18 बीघा भूमि को मुकेश कुमार आ0 स्व0 बापूलाल जाति जाटव (यादव) निवासी झालरापाटन के नाम नामान्तरण खोला जाकर खाते दर्ज करने का दिनांक 27.7.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना मे नामान्तरकरण संख्या 2163 ग्राम झालरापाटन तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक बापूलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया ना ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। मनमाने तौर पर स्वर्गीय बापूलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम पारित निर्णय के शीर्षक मे दर्ज किये बिना ही जेर अपील निर्णय पारित कर दिया जो अपीलार्थी के हितो को विरूद्ध है। इसके विपरीत रेस्पो0 प्रकरण मे रेस्पो0 का तर्क रहा है कि नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। विवादित आराजी के संबध मे अपीलांट ने सक्षम न्यायालय एसडीओ झालावाड मे काश्तकारी अधि0 की धारा 88–91–92 ए–209–53 व 188 के अन्तर्गत घोषणा व निषेधाज्ञा तथा बटवारे का दावा सं0 652/17 पेश किया हुआ है जो वर्तमान मे जेरकार है जिसमे गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा। रेस्पो0 के उक्त तर्क का अपीलांट द्वारा खण्डन नही किया है ऐसी स्थिति मे पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के यहां घोषणा एवं बटवारे का वाद जेरकार होना प्रकट है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे हम अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे आंशिक संशोधन करते हुये विवादित आराजी के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड मे पक्षकारान के मध्य जेरकार उक्त विवेचित राजस्व वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड मे आराजी, विवादित होने का नोट लाल स्याही से अंकित किये जाने का तहसीलदार झालरापाटन को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार झालरापाटन को प्रेषित की जावे।

6 निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा